संख्या-8/2023/1261/86-2023

प्रेषक,

विपिन कुमार जैन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0,
लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 10 अप्रैल, 2023

विषय-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-4 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2853 (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-02/ए-4/2023, दिनांक 03.04.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान संख्या-4 के लेखाशीर्ष 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रकाशन-03-खनन प्रशासन की योजना के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 4269.70 लाख (रूपये बयालीस करोड उनहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र), अनुदान संख्या-4 के लेखाशीर्ष 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-004-अनुसंधान तथा विकास-03-खनिज अन्वेषण के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 3449.50 लाख (रूपये चौतीस करोड उन्चास लाख पचास हजार मात्र) एवं लेखाशीर्ष 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-004-अनुसंधान तथा विकास-06-खनिज विकास की योजनायें, के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 83.00 लाख (रूपये तिरासी लाख मात्र) अर्थात समग्र धनराशि रू0 7802.20 लाख (रूपये अठहत्तर करोड दो लाख बीस हजार मात्र) निम्नानुसार व्यय किये जाने हेतु प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

अनुदान संख्या-4

लेखाशीर्ष तथा उसकी व्यय की मदें	निर्गत की जा रही स्वीकृति (धनराशि लाख रूपये में)
2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खनन प्रशासन की योजना-	
01-वेतन	1900.00
02-मजदूरी	450.00
03-मॅहगाई भत्ता	855.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

04-यात्रा व्यय	3.00
05-स्थानान्त्रण यात्रा व्यय	2.00
06-अन्य भत्ते	0.20
07-मानदेय	0.25
08-कार्यालय व्यय	4.00
09-विद्युत देय	30.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50
13-टेलीफोन पर व्यय	6.25
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	200.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	400.00
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	35.00
18-प्रकाशन	10.00
29-अनुरक्षण	12.00
42-अन्य व्यय	1.50
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	35.00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेरशनरी का क्रय	8.50
49-चिकित्सा व्यय	30.00
51-वर्दी व्यय	0.50
55-मकान किराया भत्ता	100.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	175.00
योगः-001 (03)	**4269.70**

अनुदान संख्या0-4

लेखाशीर्षक तथा उसकी व्यय की मदें	निर्गत की जा रही स्वीकृति (धनराशि लाख रूपये में)
2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-004-अनुसंधान तथा विकास-03-खनिज अन्वेषण	
01-वेतन	2100.00
02-मजदूरी	36.00
03-मँहगाई भत्ता	945.00
04-यात्रा व्यय	15.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.50
06-अन्य भत्ते	0.25
08-कार्यालय व्यय	7.00
09-विद्युत देय	50.00
10-जलकर/जल प्रभार	28.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	7.00
13-टेलीफोन पर व्यय	4.50
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	23.00
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वायमित्व	4.00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.50
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	28.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.75
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	8.00
49-चिकित्सा व्यय	40.00
51-वर्दी व्यय	1.00
55-मकान किराया भत्ता	147.00
योगः-004 (03)	3449.50
06-खनिज विकास की योजनायें 0602-खनिज विकास की योजनायें	
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50.00
13-टेलीफोन पर व्यय	13.00
42-अन्य व्यय	20.00
योग-06	**83.00**
महायोग-2853 001 (03)+004(03+06)	**7802.20**

(रूपये अठहत्तर करोड़ दो लाख बीस हजार मात्र)

2. शर्तें/प्रतिबन्ध :-

(1) उपर्युक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जिन मदों में व्यय से पूर्व शासन की स्वीकृति आवश्यक हो, उनसे संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजे जायेगें और शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(4) वित्त विभाग के शासनादेशों एवं इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार दिनांक 31.03.2024 तक सुनिश्चित किया जाय तथा शेष धनराशि नियमानुसार समर्पित कर दी जाय।

(6) धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपरोक्तानुसार निर्गत की जा रही स्वीकृतियों के सापेक्ष होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-4 के लेखाशीर्ष 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रकाशन-03-खनन प्रशासन की योजना, लेखाशीर्ष 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-004-अनुसंधान तथा विकास-03-खनिज अन्वेषण एवं लेखाशीर्ष 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-004-अनुसंधान तथा विकास-06-खनिज विकास की योजनायें के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
विपिन कुमार जैन,
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांकः उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हृदय नारायण सिंह यादव,
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in